संख्या- 8/3171/30-3-13-25बी/2013

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 29 अक्टूबर, 2013

विषय- परिवहन आयुक्त कार्यालय में लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में आपके पत्रांक-323कं0से0/2013-कं0से0 (इन्टरनेट कनेक्शन)/2013, दिनॉक 16-06-2013 एवं पत्रांक-46(जी)कं0से0/2013-कं0से0(इन्टरनेट कनेक्शन)/2013, दिनॉक 08-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से परिवहन आयुक्त कार्यालय में लीज्ड लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस सम्बन्ध में आने वाला व्ययभार परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के "लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-13-टेलीफोन पर व्यय" के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या- 8/3171(1)/30-3-13-25बी/2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- भारत संचार निगम लि0 के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त।
3- वित्त (व्यय-नियंत्र) अनुभाग-9 ।
4- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in